संख्या-2/2017/1100/53-2-17-2(47)/15

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 अगस्त, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (राज्य सेक्टर) (अनुदान संख्या-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त के पत्रांक-353/दुग्ध-4/नियो0/सूचना तक कम्प्यू0(157)/2017-18, दिनांक-31 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 99.27 लाख (रू0 निन्यान्वे लाख सत्ताइस हजार मात्र) एकमुश्त आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है:-

(अ)-पी0सी0डी0एफ0 हेतु-

1	पी0सी0डी0एफ0 की वेब साईट **paragmilkup.in** का नवीनीकरणः-	रू0 15.02 लाख
2	पी0सी0डी0एफ0 व विभिन्न इकाईयों में बायोमीट्रिक सिस्टम की स्थापनाः-	रू0 19.75 लाख
	योग-	**रू0 34.77 लाख**
(ब)-	दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु-	
3	दुग्ध आयुक्त कार्यालय में ई-गर्वनेन्स/राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान मिशन हेतु -	रू0 55.00 लाख
4	दुग्ध आयुक्त कार्यालय में कॅाल सेन्टर की स्थापना-	रू0 9.50 लाख
	योगः-	रू0 64.50 लाख
	कुल धनराशि	**रू0 99.27 लाख**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय की जायगी। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही-खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक **'2404-डेरी विकास- 102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम -0305-सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03 अगस्त, 2017 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-2/2017/1100(1)/53-2-2017, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार-लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।